प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2023**
प्र.ई.रि.सं......181/2023 दिनांक 11/7/2023
2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018)** धारा 7
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा........................–.................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....–................................
3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.......734...................समय.........7:30 PM.
(ब) अपराध के घटने का दिन सोमवार, **दिनांक 10.07.2023, समय 06.23 पीएम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की **दिनांक 10.07.2023, समय 12.20 पीएम**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– कार्यालय सहायक अभियंता (O&M) अ0वि0वि0नि0 लिमि0 उपखण्ड देवगढ जिला राजसमन्द
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 70 किलोमीटर
(ब) पता..
....बीट संख्या ....जरायमदेही सं...................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना................जिला.............

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– देवेन्द्र मीणा
(ब).–पिता का नाम :– कमल सिंह मीणा
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–28 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या........–.........जारी होने की तिथि........–...........जारी होने की जगह.....–...
...... (र).–व्यवसायः– प्राईवेट कार्य
(ल).–पता :– निवासी–आमापुरा, थाना–कवाई सालपुरा, तह.–अटरू जिला बांरा।
7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.................

(1) श्री धर्म सिंह पुत्र श्री रामजी लाल महावर जाति महावर उम्र 43 साल निवासी विराटनगर कल्याणीपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, शेर सिंह की डेयरी के पास, अजमेर हाल सहायक अभियन्ता कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड देवगढ जिला राजसमन्द

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
1,500/– रूपये ट्रेप राशि

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य **1,500**/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)....................................–.........................
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी देवेन्द्र मीणा S/O कमल सिंह मीणा निवासी गांव– आमापुरा, पुलिस थाना–कवाई सालपुरा, त. अटरू, जिला–बांरा ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मै गांव– आमापुरा, पुलिस थाना–कवाई सालपुरा, त. अटरू, जिला–बारां का मुल निवासी हुं। टावर विजन इन्डिया प्रा. लि. जयपुर द्वारा देवगढ स्थित नवर्निमित मोबाइल टावर में विधुत कनेक्शन करवाने का कार्य याशिका इलेक्ट्रो इन्जिनियरस जयपुर द्वारा यह कार्य मुझे दिया गया हैं। इससे पुर्व भी मैने याशिका इलैक्ट्रो इंजिनियरस जयपुर कम्पनी के लिए मोबाईल टावर मे विधुत कनेक्शन करवाने का कार्य किया हैं। विधुत कनेक्शन के लिए आवेदन मेरे द्वारा याशिका इलैक्ट्रो इजिंनियरस जयपुर कम्पनी द्वारा भेजी गई फाइल सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड देवगढ के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हैं। सहायक अभियन्ता देवगढ श्री धर्मसिंह द्वारा उक्त विधुत कनेक्शन के लिए 7200 रू. एस्टीमेट भरा गया हैं। जो राशि भी टावर विजन इन्डिया प्रा. लि. कम्पनी द्वारा जमा करवा दी गई हैं। सहायक अभियन्ता श्री धर्मसिंह द्वारा मांग पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे है। उक्त मांग–पत्र पर हस्ताक्षर करने की एवज में 2,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर परेशान किया जा रहा हैं। मांग–पत्र पर सहायक अभियन्ता श्री धर्मसिंह के हस्ताक्षर नहीं होने से रसीद नहीं कट पा रही हैं। और रसीद नहीं कटने से विधुत कनेक्शन का वर्क आर्डर जारी नहीं हो पा रहा हैं। वर्क आर्डर जारी होने के पश्चात ही विधुत कनेक्शन होना सम्भव हैं। मै सहायक अभियन्ता श्री धर्मसिंह को उक्त विधुत कनेक्शन के लिए रिश्वत राशि 2,000 रूपये नहीं देना चाहता हुं। मै सहायक अभियन्ता श्री धर्मसिंह को रिश्वत लेते हुए रगें हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी सहायक अभियन्ता धर्मसिंह से कोई आपसी रजिंस नहीं हैं और ना ही कोई लेनदेन बकाया हैं। अतः कानुनी कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की। जिस पर दो स्वतंत्र गवाहान व वाहन की तलबी की। ततपश्चात भूमि विकास बैंक राजसमन्द का अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–27–टी0ए0–6511 मय वाहन चालक श्री मदन लाल रेगर तथा श्री कुलदीप सिंह निरीक्षक (अंकेक्षक) कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां राजसमन्द एवं श्री दिनेश कुमार जांगिड़ निरीक्षक (कार्यकारी) कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजसमन्द उपस्थित कार्यालय आये। समय 01.05, 01.14 एवं 01.16 पीएम पर परिवादी श्री देवेन्द्र के मोबाईल नं. 99296–37144 से आरोपी श्री धर्म सिंह के मोबाईल नं. 70148–56001 पर कॉल कर वार्ता करवाई गई। जिसे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय करीब 02.15 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162, जितेन्द्र कानि0 नं0 262 एवं श्रीमती तारा कानि0 नं0 259 को मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी साथ में लेकर, मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबन्धित वाहन मय चालक मदनलाल के साथ तथा परिवादी श्री देवेन्द्र को उसकी स्वयं की निजी मोटरसाईकिल से कानि0 श्री भंवरदान के साथ आमेट, देवगढ की तरफ रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह, हैड कानि0 सीता नं. 233, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सिंह एवं श्री दिनेश कुमार, मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मनोज कुमार कानि0 नं0 23 के ट्रेप कार्यवाही हेतु आमेट, देवगढ की तरफ रवाना होकर 4.00 पीएम पर केन्द्रीय विद्यालय के पास आमेट देवगढ रोड से एक तरफ सुनसान जगह पर रूके। परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 के साथ परिवादी को आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने एवं मांग सत्यापन से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर कार्यालय सहायक अभियंता अ0वि0वि0नि0 लिमि0 उपखण्ड देवगढ जिला राजसमन्द के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। जो बाद सत्यापन के हाजिर आये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो आरोपी धर्म सिंह के द्वारा रिश्वत राशि 1500 रूपये मांगने की पुष्ठि हुई गवाहान को भी उक्त वार्ता सुनाई गई तो गवाहान ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना बताया। दोनों गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा पुत्र श्री कमल सिंह मीणा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर

परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 03 नोट कुल 1,500/–रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नम्बर निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट	9MA 442809
2	500 रूपये का एक नोट	9MA 442811
3	500 रूपये का एक नोट	7QM 726617

उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु वाहन सं. आर0जे0–27–टी0ए0–6511 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर ब्यूरो जाप्ता की श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को उसके पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी में से फिनोफ्थलीन पाउडर निकाल कर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा पेश उपरोक्त समस्त नोटो के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार जांगिड निरीक्षक (कार्यकारी) कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजसमन्द से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटो को परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के शरीर पर पहनी हुई जीन्स की पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साथ लाये पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा तथा स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री दिनेश कुमार जांगिड के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। परिवादी को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद सहायक अभियन्ता अ0वि0वि0नि0लि0 देवगढ कार्यालय से बाहर आकर अपने ब्यूरो कार्यालय के कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के मोबाईल पर फोन कर रिश्वत राशि देने सम्बन्धी निर्धारित ईशारा करे तथा परिवादी व कानि0 जितेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर आपस में साझा करवाये गये। तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। उक्त कार्यवाही की फर्द अलग से मौके पर मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ततपश्चात परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु आवश्यक हिदायत कर तथा श्री जितेन्द्र कानि0 नं0 262 एवं श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को परिवादी के साथ कार्यालय सहायक अभियंता अ0वि0वि0नि0 लिमि0 उपखण्ड देवगढ जिला राजसमन्द के पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये निर्धारित इशारा मिलने तक मुकिम रहने हेतु रवाना किया व श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162, मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबन्धित वाहन मय चालक मदनलाल के साथ तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह, हैड कानि0 सीता नं. 233, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सिंह एवं श्री दिनेश कुमार, मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मनोज कुमार कानि0 नं0 23 के ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक अभियंता (O&M) अ0वि0वि0नि0 लिमि0 उपखण्ड देवगढ के रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता (O&M) अ0वि0वि0नि0 लिमि0 उपखण्ड देवगढ के मुख्य दरवाजे से कुछ दुरी पर रूक कर वाहन को अलग–अलग उचित स्थान पर साईड में खडा किया। वहीं पर कुछ दुरी पर भूमि विकास बैंक राजसमन्द का अनुबंधित वाहन बोलेरो मय वाहन चालक मय जाप्ते के उपस्थित रह कर

अग्रिम निर्देश के इंतजार में मुकीम रहे। दोनों गवाहान के समक्ष ही समय 06.23 पी.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा ब्यूरो जाप्ता के श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 262 को निर्धारित ईशारा मोबाईल से कॉल कर आरोपी श्री धर्म सिंह महावर सहायक अभियन्ता द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में बताया जिस पर तुरन्त ही कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को मोबाईल से कॉल कर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आरोपी द्वारा प्राप्त करने के संबंध में निर्धारित इशारा बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, हमराह उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री दिनेश कुमार एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 के कार्यालय सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. देवगढ परिसर में तेज–तेज कदमों से प्रवेश किया। जहां पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा उक्त कार्यालय के कमरा नं. 03 के दरवाजे पर ही खडा मिला जिसने मन् पुलिस उप अधीक्षक को उक्त कमरा नं. 03 की ओर ईशारा कर अपने पास रखे डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया जिसे मन पुलिस उप अधीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख उक्त कमरा नं. 03 में प्रवेश किया तो परिवादी ने उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठे हुये एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ''यह ही धर्म सिंह ए.ई.एन. है जिसने मुझसे अभी–अभी 1500 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की और पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी है'' जिस पर आरोपी श्री धर्म सिंह का एक हाथ श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं. 117 एवं दूसरा हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 ने कलाई के ऊपर से पकडा। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान जाप्ता ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री धर्म सिंह पुत्र श्री रामजी लाल महावर जाति महावर उम्र 43 साल निवासी विराटनगर कल्याणीपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, शेर सिंह की डेयरी के पास, अजमेर हाल सहायक अभियन्ता कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया। आरोपी श्री धर्म सिंह से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा से 1500 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हुं। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुनाया गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता होना पाया गया। इसके उपरांत परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा व आरोपी श्री धर्म सिंह के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता व तीनों मोबाईल वार्ताओ को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही चालू कर आरोपी श्री धर्म सिंह को सुनाई गई तथा उक्त मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री धर्म सिंह सहायक अभियन्ता ने बताया कि ''इस तरह के कनेक्शन में रिश्वत ली जाती है और इसे विश्वास का व्यक्ति समझकर ही इससे रिश्वत राशि 1500 रूपये की मांग कर अभी ग्रहण की है। इसने मेरी शिकायत किस वजह से की है यह मैं नहीं बता सकता।'' तत्पश्चात आरोपी श्री धर्म सिंह के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं. 117 से ही ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में उक्त कमरा नं. 03 सी.सी. ऑफिस में ही रखे हुये पानी के केम्पर में से अलग–अलग साफ पानी भराकर मंगवा कर उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। आरोपी श्री धर्म सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया तथा दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री धर्म सिंह के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री धर्म सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सिंह से लिवाई गई तो श्री धर्म सिंह के पहनी हुई गहरे भूरे रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से कुछ रूपये मिले। जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500–500 के 03 नोट कुल राशि 1500 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गयेः–

क्रम संख्या	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट	9MA 442809
2	500 रूपये का एक नोट	9MA 442811
3	500 रूपये का एक नोट	7QM 726617

उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री धर्म सिंह को परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत टावर वीजन इन्डिया प्रा.लि. जयपुर के विद्युत कनेक्शन की पत्रावली प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो पाया कि उक्त विद्युत कनेक्शन का आवेदन टावर के अघरेलु कनेक्शन हेतु दिनांक 05.07.2023 को किया गया था। जिसका प्राथमिकता रजिस्टर में इन्द्राज नहीं होकर कैश में जमा हुई फाईल का इन्द्राज दिनांक 05.07.2023 के क्रम सं. 3 पर दर्ज है। जिसका तकमीना लज्जाराम मीणा कनिष्ठ अभियंता द्वारा उसके हाथ से तैयार किया गया था तथा प्रोविजनल मांग पत्र टावर वीजन इन्डिया प्रा. लि. का 7200 रूपये का बनाया हुआ हो उक्त प्रोविजनल मांग पत्र पर सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार प्रकिया अनुसार उक्त मांग पत्र की राशि का भुगतान होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाता तथा सामग्री रिक्वायरमेंट के लिये राजसमन्द कार्यालय को लिखा जाता है।'' तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक ने श्री लक्ष्मण सिंह से उक्त पत्रावली व रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री धर्म सिंह की पहनी हुई गहरे भूरे रंग की पेन्ट के पीछे की दाहिनी ओर की जेब से 1500 रूपये बरामद होने से पहनी हुई उक्त गहरे भूरे रंग की पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर दुसरी पेन्ट पहनायी जाकर उक्त पेन्ट बरंग गहरे भूरे रंग के पीछे की दाहिनी ओर की जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु एक साफ कांच का गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया उक्त गिलास में उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण हल्का गुलाबी हो गया। जिस घोल को दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क कर पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये एवं फर्द खाना तलाशी आरोपी श्री धर्म सिंह के रिहायशी किराये का मकान देवगढ की नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये एवं आरोपी श्री धर्म सिंह का अजमेर स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी एसीबी टीम अजमेर द्वारा ली गई।

श्री धर्म सिंह सहायक अभियंता (O&M) अ0वि0वि0नि0 लिमि0 उपखण्ड देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री धर्म सिंह सहायक अभियंता को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि संबंधी मोबाईल वार्ताए–3, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री धर्म सिंह महावर सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड देवगढ जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत टावर वीजन इन्डिया प्रा.लि. जयपुर के विद्युत कनेक्शन की पत्रावली में डिमाण्ड पत्र पर हस्ताक्षर करने की एवज में दिनांक 10.07.2023 को परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 1500/– रूपये की मांग कर प्राप्त करने हेतु सहमत होना तथा मांग अनुसार दिनांक 10.07.2023 को 1500/– रूपये दौराने रिश्वत राशि लेन–देन आरोपी श्री धर्म सिंह सहायक अभियन्ता द्वारा प्राप्त करना तथा आरोपी श्री धर्म सिंह द्वारा उक्त रिश्वत राशि 1500/– रूपये अपने हाथों से गिनकर प्राप्त करने के बाद अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना, आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि 1500/– रूपये बरामद होना तथा उक्त आरोपी श्री धर्म सिंह

द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना व उक्त आरोपी श्री धर्म सिंह के पहनी हुई पेन्ट जिसके पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग भी हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री रामजी लाल महावर जाति महावर उम्र 43 साल निवासी विराटनगर कल्याणीपुरा, पुलिस थाना अलवर गेट, शेर सिंह की डेयरी के पास, अजमेर हाल सहायक अभियन्ता कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री धर्म सिंह सहायक अभियंता के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री रामजी लाल महावर, सहायक अभियन्ता, कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड देवगढ़ जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 181/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2265-68 दिनांक 11.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. सचिव(प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

11/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।